

उपखण्ड अधिकारी
सराडा

27/11/2019 . पत्रावली पत्र हुई। अधिवक्ता
उपखण्ड उप. विपरीत गण को पूर्व में
जबकि के काफ़ी अवसर दिये जा चुके हैं।
अधिवक्ता विपरीत गण ने जबकि पत्र न कर
सीधे कथन की। प्रवर्तन पत्र पर अधिवक्ता
उपखण्ड की कठस बुनी गयी। प्रवर्तन गण
का प्रवर्तन पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय प्रथम ले लिखा जाकर श. 0
पत्रा. 0 किया गया। पत्रा. 0 केवल प्रथम
लेख नखर से कम की जाकर
मूल रावे के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर (राज.)